पर्चा डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –356/2024

अनवान : –

1. हरजिन्द्रसिह पुत्र जगतार सिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. जगतार सिह पुत्र तेजासिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा

88, राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवकता श्री इन्द्रजीत सिंह :–वादी
2 अधिवकता श्री महावीर वर्मा :– प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 19/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री इन्द्रजीत सिंह व वकील प्रतिवादी श्री महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि चक नं0 650 आर.डी. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 20/19 में संयुक्त खाता में दर्ज कुल 5.060 है० नहरी आराजी में से प्रतिवादी जगतारसिह के नाम से 1/2 हिस्सा में से वादी हरजिन्द्र सिंह को 1.265 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 650 आर. डी. खाता सं0 20/19 में से प्रतिवादी का हिस्सा कम किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन किया जावे। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उ[illegible] अपना [illegible] करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/24 को मेरे [illegible] की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:19:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner